REGD. No. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092021-229985 CG-DL-E-27092021-229985

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3651]

No. 3651]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 2021/ आश्विन 05, 1943

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 2021/ASVINA 05, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2021

का.आ. 3985(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 50 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

तालिका

 क. सं.
 नई रारा सं.
 राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण

 (1)
 (2)
 (3)

 50
 116
 पश्चिम बंगाल राज्य में कोलाघाट के निकट रारा-16 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर हल्दिया पत्तन, रानीचक (हल्दिया डॉक काम्प्लेक्स के गेट तक) को जोड़ते हुए और कोलाघाट बे निकट रारा-116 के जंक्शन से प्रारंभ होकर तथा कोलाघाट जेट्टी पर समाप्त होने वाले स्पर सहित हल्दिया मल्टी मोडाल टर्मिनल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

 पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 3622(अ), दिनांकित 6 सितंबर, 2021 द्वारा किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14012/15/2021-पी. एण्ड एम.]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2021

S.O. 3985(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 50 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
50		The highway starting from its junction with NH-16 near Kolaghat connecting Haldia Port, Ranichak (Up to the gate of Haldia Dock Complex) and terminating at Haldia Multi Modal Terminal including spur starting from its junction with NH-116 near Kolagaht thermal power plant and terminating at Kolaghat Jetty in the state of West Bengal

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 3622 (E), dated 6th September, 2021.

[F. No. NH-14012/15/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director